न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./5364/2005/बून्दी

मनभर देवी पत्नी सूरजमल, जाति मीणा निवासी नाडाहेत, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।

-- अपीलाण्ट

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र भंवरलाल, जाति महाजन, निवासी अलोद, तहसील हिण्डौली, जिला बून्दी।
2. महावीर पुत्र भंवरलाल, जाति महाजन, निवासी अलोद, तहसील हिण्डौली, जिला बून्दी।
3. आवंटन परामर्श दात्री समिति जरिये तहसीलदार, हिण्डौली, जिला बून्दी।

-- रैस्पोण्डेण्ट

एकल-पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :-
(1) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
(2) श्री जी0एस0 लखावत, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 06-06-2018

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6-4-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि मनभर देवी पत्नी सूरजमल, जाति मीणा निवासी नाडाहेत, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 1343 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम बडौदिया दिनांक 29-5-1989 को आवंटन की गई। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17-ए, राजस्थान कोलोनाइजेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई सरकारी भूमि आवंटन नियम, 1968) के तहत प्रार्थना पत्र वर्तमान रैस्पो0 संख्या 1व 2 की ओर से अति0 कलक्टर, बून्दी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अति0 कलक्टर, बून्दी के निर्णय दिनांक 21-10-2003 से प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा कर आवंटन दिनांक 29-5-1989 को निरस्त किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 6-4-2005 से अपील को खारिज किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3 – अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

4– अपीलार्थी के योग्य अभिभाषकगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1343 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम बडोदिया को समस्त जॉच आदि के उपरान्त दिनांक 29–5–1989 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया था और मौके पर विधिवत रुप से दखल दिया गया था। आवंटन की शर्तो के अनुसरण में आवंटी द्वारा विधिवत रुप से आवंटन की किश्त जमा कराई गई है और मौके पर आवंटी का विधिवत रुप से कब्जा काश्त है। अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन के उपरान्त खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं और आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त आवंटन को तकनीकी खामी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया शिकायतकर्त्ताओं द्वारा जो मुख्य आपत्ति ली है वह इस आशय की ली है कि उनके पक्ष में पूर्व में प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया है, किन्तु प्रथम तो ऐसा कोई साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और दूसरे यदि ऐसा हुआ है भी तो इसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। अपीलार्थी के पक्ष में विधिवत आवंटन किया जा कर मौके पर कब्जा दिया गया है, अतः रैस्पो0 की इस आपत्ति के आधार पर आवंटन को खारिज करने में अति0 जिला कलक्टर, बून्दी ने अनियमितता की है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण में विस्तार से विवेचन करने के बजाए अधीनस्थ अति0 जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश को अविधिक रुप से पुष्ट किया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करने का निवेदन किया।

5– रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि यह साक्ष्य से बखूबी पुष्ट है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 4–12–1978 को यही खसरा नम्बर आवंटन किया गया है और अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 29–5–1989 को आवंटन किया गया है, जो कि रैस्पो0 के पक्ष में किए गए आवंटन से बाद का है। अतः जब पूर्व से ही आराजी आवंटित हो चुकी है तो बाद वाला आवंटन शून्य रहता है और इस आवंटन के आधार पर अपीलार्थी को किसी प्रकार के स्वत्व अर्जित नहीं हो सकते हैं। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अति0 कलक्टर, बून्दी ने अपने निर्णय में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि अपीलार्थी भूमिहीन नहीं है, अतः भूमिहीन नहीं होने से अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथ्यों को छिपाते हुये किया जाना साबित होता है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने प्रकरण में विस्तार पूर्वक विवेचन करते हुये निर्णय पारित किए हैं, अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय होने से द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

6– अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकार्य व निर्विवाद तथ्य है है कि मनभर देवी पत्नी सूरजमल, जाति मीणा निवासी नाडाहेत,

तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 1343 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम बडौदिया दिनांक 29–5–1989 को आवंटन की गई है। रैस्पो0 द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अति0 कलक्टर, बून्दी के न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें मद संख्या 5 में अंकित किया है कि "उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता भंवरलाल को मिसल नम्बर 3 दिनांक 4–12–1978 को आवंटन हो चुकी थी।" इस सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि भॅवर लाल पिता माधोलाल के पक्ष में खसरा नम्बर 1343 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा 4–12–1978 को आवंटन की गई है और इस आवंटन को निरस्त कराने हेतु अति0 जिलाधीश (प्रशासन), बून्दी के न्यायालय में कल्याण पुत्र कालू द्वारा नियम 14 (4) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे दिनांक 5–3–1982 के निर्णय से खारिज किया गया है। इस निर्णय को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो या आवंटन दिनांक 4–12–1978 को निरस्त कराया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है, अतः यह भी नहीं माना जा सकता है कि रैस्पो0 के पिता के पक्ष में जो आवंटन पूर्व में किया गया है उसे निरस्त किया जा चुका है। अतः सुस्पष्ट है कि आवंटित भूमि पूर्व से आवंटन शुदा होने से, बाद वाले आवंटन दिनांक 29–5–1989 को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त कलक्टर, बून्दी के निर्णय दिनांक 21–10–2003 में ये भी अंकन किया गया है कि अप्रार्थीया का भूमिहीन होना पूर्णतया प्रकट है। इस प्रकार सुस्पष्ट है कि अतिरिक्त कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निर्णय पारित किया है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय को पुष्ट किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं और समवर्ती निर्णयों में, बिना किसी ठोस साक्ष्य के, द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम न्यायोचित नहीं मानते हैं। विभिन्न न्यायालयों ने भी अपने निर्णयों में मत प्रतिपादित किया है कि जहॉ प्रकरण में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हों वहॉ द्वितीय अपील स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, फलतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य